<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उ-ार प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री गणेश इण्टरप्राइजेज, सी-44, पटेल नगर-II, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**004/ 17, 08.03.2017**
टी0टी0आर0 सं0 व दिनांक	**324/2018** **27-11-2018**
प्रार्थी की ओर से	**श्री दुर्गा प्रसाद, फर्म अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी सर्वश्री श्री गणेश इण्टरप्राइजेज, सी-44, पटेल नगर-II, गाजियाबाद के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र पर माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-12-2017 एवं माननीय अध्यक्ष वाणिज्य कर, अधिकारण पुर्ण पीठ उ0प्र0 लखनऊ ,द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 17-09-2018 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रीवीजन संख्या 324/2018 दिनांक 27-11-2018 के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर अंकित निम्नलिखित प्रश्न का पुन: विनिश्चय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

"Whether 'photographic color paper' is covered in entry no. 6 of UP Tax on entry of Goods into Local Area Act, 2007 and therefore, liable to entry tax ?"

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री दुर्गा प्रसाद, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को लिखित रुप में दोहराया गया।

3. **एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के द्वारा उक्त मामले में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, संभाग ए, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 2767 दिनांक 14-03-2019 के साथ डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3 गाजियाबाद के पत्र संख्या 839 दिनांक 12-03-2019 से प्राप्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016-17 में दाखिल बिक्री विवरण में व्यापारी द्वारा प्रान्तीय एवं केन्द्रीय बिक्री किया जाना स्वीकार किया गया है। ऑन लाइन दाखिल बिक्री विवरण में भी व्यापारी द्वारा प्रान्तीय एवं केन्द्रीय खरीद बिक्री विधिवत रुप से घोषित की गयी है, लेकिन व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्रवेश कर से संबंधित न ही कोई रुप पत्र जमा किया गया है और न ही प्रवेश कर की देयता स्वीकार की गयी है और न ही दाखिल बिक्री विवरण में प्रवेश कर जमा किया जाना स्वीकार किया गया है।**

उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20-02-2017 में "फोटोग्राफिक कलर पेपर" को वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 व प्रविष्टि संख्या-99 का विश्लेषण करते हुये प्रविष्टि संख्या 99 में "फोटोग्राफिक कलर पेपर, एक्स -रे फिल्म" को अलग वर्गीकृत किये

....2

जाने एवं प्रविष्टि संख्या-92 में "विभिन्न प्रकार के पेपर " को अलग वर्गीकृत किये जाने के आधार पर दोनो में विभेद मानते हुये "फोटोग्राफिक प्रिन्ट पेपर" को "पेपर" से भिन्न होना उल्लिखित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामलें में पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 में व्यापारी का प्रार्थना पत्र प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत हाने के कारण सुसंगत प्राविधानों के अधीन नये सिरे से निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं। पेपर (paper) के सम्बन्ध में प्रवेश कर सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या 104 दिनांक 15-01-2009 निम्न प्रकार है :-

paper meant for writing, printing or packing purpose excluding newsprint : 2% of the value of goods.

प्रवेश कर सम्बन्धी इस विज्ञप्ति में केवल "न्यूज पेपर प्रिन्ट" को "पेपर" से अलग किया गया है। "फोटोग्राफिक पेपर" वास्तव में एक प्रकार का ऐसा पेपर है, जिस पर किसी वस्तु की फोटोग्राफिक इमेज प्रिन्ट की जाती है। फलस्वरुप यह एक प्रकार का प्रिन्टिंग पेपर है तथा फोटोग्राफिक पेपर प्रवेश कर सम्बन्धी उक्त विज्ञप्ति के अधीन paper meant for printing की श्रेणी में आता है। अत: "फोटोग्राफिक पेपर" पर नियमानुसार प्रवेश कर की देयता बनती है।

4- उल्लेखनीय है कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची -II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या -92 में "**विभिन्न प्रकार के पेपर**" एवं प्रविष्टि संख्या-99 (दिनांक 09-04-2008) में "**फोटोग्राफिक पेपर, एक्स -रे फिल्म**" को वर्गीकृत किया गया है, जो कि केवल वैट अधिनियम के ही दृष्टगत किया गया है किन्तु प्रवेश कर सम्बन्धि विज्ञप्ति संख्या 104 दिनांक 15-01-2009 में केवल एक ही इन्ट्री है, जो निम्न प्रकार है:-

"paper meant for writing, printing or packing purpose excluding newsprint : 2% of the value of goods."

<u>According to Wikipedia:</u>

Photographic paper is a paper coated with a light-sensitive chemical formula, used for making photographic prints.

Photographic papers fall into one of three sub-categories:

- Papers used for **negative-positive** processes. This includes all current black-and-white papers and chromogenic colour papers.
- Papers used for **positive-positive** processes in which the "film" is the same as the final image (e.g., the Polaroid process, Imago direct positive paper).
- Papers used for **positive-positive** film-to-paper processes where a positive image is enlarged and copied onto a photographic paper, for example the Ilfochrome process

Oxford advance learners Dictionary के अनुसार प्रिन्ट की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है :-

Print

verb

"letter/pictures 1 to produce letters, pictures, etc., on paper using a machine that puts ink on the surface." PHOTOGRAPH 4 (VN) to produce a photograph from a film.

Wikipedia the free encyclopedia में Digital Printing को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

"Digital printing is the reproduction of digital images on physical surface, such as common or photographic paper, film, cloth, plastic, etc.

Oxford advance learners Dictionary में प्रिन्ट का तात्पर्य produce (a photograph) from a negative भी बताया गया है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया है। इस प्रकार प्रवेश कर सम्बन्धी इस विज्ञप्ति में केवल "न्यूज प्रिन्ट" को "पेपर" से अलग किया गया है। "फोटोग्राफिक पेपर" वास्तव में एक प्रकार का ऐसा पेपर है, जिस पर किसी वस्तु की फोटोग्राफिक इमेज प्रिन्ट की जाती है। फलस्वरुप यह एक प्रकार का प्रिन्टिग पेपर है तथा फोटोग्राफिक पेपर प्रवेश कर सम्बन्धी उक्त विज्ञप्ति के अधीन **"paper meant for printing"** की श्रेणी में आता है। अत: **"फोटोग्राफिक पेपर"** पर नियमानुसार प्रवेश कर की देयता बनती है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के □आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 28 मई 2019

ह0/28/05/2019

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।